क्रम संख्या– 185 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 षक सम्वत्

उत्तराखण्ड षासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 355/विधायी एवं संसदीय कार्य/87(1)2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 को दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 29, सन 2016 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या 29, वर्श 2016)

राज्य किसान आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुशंगिक विशयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्श में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग अधिनियम, 2016 है। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
परिभाशाएं	2.	इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो– (क) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड़ राज्य किसान आयोग अभिप्रेत हैः (ख) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत हैः और उसके अन्तर्गत सदस्य–सचिव भी हैः
राज्य किसान आयोग का गठन	3	अध्याय–2 राज्य किसान आयोग (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उत्तराखण्ड़ राज्य किसान आयोग ज्ञात नाम से एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग और समनुदेषित कृत्यों का पालन करेगा। (2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगाः– (क) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिश्ट एक अध्यक्ष, एक पद जो ''कृशि क्षेत्र में अच्छी जानकारी'' रखता हो। (ख) उपाध्यक्ष के दो पद रखे जायेंगे, जिनकी अर्हता अध्यक्ष पद के समान रहेगी। (ग) राज्य सरकार द्वारा निर्दिश्ट 07 गैर सरकारी सदस्य होंगे। (घ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिश्ट दो सदस्य, जिसमें एक कृशि उत्पादन आयुक्त एवं दूसरे प्रमुख सचिव, वित्त होगें।

		(ड़) पंड़ित गोविन्द बल्लभ पंत, कृशि एवं प्रौधोगिकी विष्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति सदस्य होगें। (च) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिश्ट दो सदस्य (स्थायी) जो कृशि से संबंधित उच्च तकनीकियों के क्षेत्र में उच्च स्तरीय उपाधि धारक होगें। (छ) कृशि निदेषक, उत्तराखण्ड़ सदस्य सचिव धारक होगें। (ज) निदेषक, बागवानी, उत्तराखण्ड सदस्य सचिव होंगे। (3) आयोग समय–समय पर अन्य अधिकारियों एवं एक्सपर्ट की बैठकें आयोजित कर सके। (4) आयोग किसी विषेशः समस्या या प्रकरण हेतु उप समिति या अध्ययन दल का गठन कर सके। (5) आयोग किसी भी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व हितधारक, कृशकों, कृशक समूहों, ए0 जी0 ओ0, राज्य एवं केन्द्र के कृशि संस्थाओं से परीक्षण एन0 जी0 ओ0, राज्य एवं केन्द्र के कृशि षोध संस्थाओं एवं अन्य कृशि संस्थाओं से परीक्षण करा सकेगी।
अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की षर्तें	4.	(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से दो वर्श के लिए पद धारण करेंगे। (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की आयु पद धारण करते समय न्यूनतम 35 वर्श तथा सदस्यों की आयु पद धारण करते समय कम से कम 25 वर्श होनी चाहिए, किन्तु अधिकतम आयु की सीमा नहीं होगी। (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य (सदस्य–सचिव को छोड़कर) राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा। (4) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगा यदि वह व्यक्ति (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता हैः (ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोश ठहराया और कारावास से दण्ड़ित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हैः (ग) विकृत चित का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोशित कर दिया जाता हैः (घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता हैः (ड़) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता हैः या (च) राज्य सरकार की राय में उसने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के

		लिए हानिकारक हो गया है या ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत हैः परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड़ के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। (5) उपधारा (4) के अधीन या अन्यथा हुयी किसी रिक्ति को नये नाम–निर्देषन द्वारा भरा जायेगा तथा इस प्रकार नाम–निर्दिश्ट व्यक्ति उस व्यक्ति के पद की षेश अवधि तक पद धारण करेगा, जिसकी रिक्ति पर ऐसे व्यक्ति को नाम–निर्दिश्ट किया गया है। (6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और षर्ते ऐसी होंगी, जैसी विहित की जांए।
आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	5.	(1) आयोग कार्यों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद सृजित कर सकेगी, जैसी वह आवष्यक्त समझे। (2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी भर्ती की सेवा के अन्य निबन्धन और षर्ते वे होंगी जो विहित की जाएं।
वेतन और भत्तों का अनुदान में से किया जाना	6.	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रषासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिश्ट सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते आदि सम्मिलित है, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिश्ट अनुदानों से किया जाएगा।
रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	7.	आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, आयोग में कोई रिक्त विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि हो के आधार पर ही अविधिमान्य नहीं होगी।
आयोग की बैठक	8.	(1) आयोग जब भी आवष्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा। (2) आयोग अपनी एवं अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। (3) आयोग की सभी कार्यवाही अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही अधिप्रमाणित की जाएंगी। (4) आयोग द्वारा समय–समय पर आवष्यकतानुसार विषेश मामलों के निश्पादन हेतु समितियां गठित की जा सकेंगी। इन समितियों के सदस्य के रूप में आयोग को ऐसे व्यक्तियों को जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतनी संख्या में, जितनी वह उचित समझे, सहयोजित करने की षक्ति होगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित रहने और उसकी कार्यवाही में

		भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उन्हे मतदान का अधिकार नहीं होगा। (5) इन प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदान होंगे, जो विहित किये जायें।
आयोग के कृत्य	9.	अध्याय–3 आयोग के कृत्य (1) उत्तराखण्ड़ की कृशि के वर्तमान स्तर पर समय–समय पर समीक्षा करना, विभिन्न कृशि जलवायु, पर्वतीय उपखण्ड़ों की परिस्थितियों में विभिन्न श्रेणी के कृशकों की क्षमताओं एवं कमजोरियों को उपखण्ड़ों की परिस्थितियों में विभिन्न श्रेणी के कृशकों की क्षमताओं एवं कमजोरियों को वरीयता देते हुए उत्तराखण्ड़ में सतत् एवं समान विकास के लिए वृहत रणनीति तैयार करना, (2) उन कारणों का विष्लेशण करना, जिससे किसानों की खेती से आय में कमी आयी है तथा कृशकों की आय में वृद्धि के लिए बाजारोन्मुखी फसल विविधिकरण, उन्नत बाजार व्यवस्था, सरल एवं नियमित मूल्य सम्वर्धन तथा कृशि प्रसंस्करण आदि के माध्यम से कृशकों की आय में वृद्धि करने के लिए तरीके सुझाना, (3) राज्य के प्रमुख खेती प्रणाली की उत्पादकता, लाभ, स्थिरता को बढ़ाने के लिए, कृशि परिस्थितिकी एवं कृशि जलवायु, पहुंच एवं प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए तरीके सुझाना, (4) एक व्यवहारिक एवं संगत फसल (उद्यान को सम्मिलित करते हुए) पषुधन, मत्स्य को एकीकृत करने हेतु सुझाव देना, (5) व्यवहारिक एवं संगत फसल (उद्यान विभाग को सम्मिलित करते हुए) पषुपालन–मत्स्य को एकीकृत करते हुए कृशि प्रणाली सुझाना तथा कृशि एवं सम्वर्गीय विभागों के माध्य तालमेल बढ़ाना, (6) तकनीकी एवं लोकनीति के मध्य ताल–मेल बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विविधिकरण सतीय तकनीकी (आई. टी. समेत) के माध्यम से तरीके सुझाना, जिससे कि विपणन, मौसम, वित्त पोशण तथा ऑनलाईन व्यापार, प्रषिक्षण एवं बाजार सुधार किया जा सके, (7) वर्तमान में कृशि आगातों की उपयोग क्षमता का परीक्षण करना, बीज, उर्वरक तथा कृशि रक्षा रसायन को अनुदान पर वितरण हेतु प्रणाती की कार्य क्षमता का निर्धारण व उसमें सुधार करना, (8) कृशि में जल के प्रयोग की वर्तमान स्तर की समीक्षा करना एवं समान प्रयोग के लिए संस्तुतियां देना तथा कृशि उत्पादकता में वृद्धि हेतु भूमि एवं सतही जल सतत् प्रयोग करना एवं वर्शा जल संरक्षण के उपाय सुझाना, (9) स्थानीय एवं परम्परागत फसलों को महत्व की दृश्टि से प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव देना,
		(10) कृशि उत्पाद की गुणवत्ता एवं दरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु सुझाव देना जिससे कि उन्हें वैष्विक रूप से प्रतिस्पर्धा में बनाया जा सके,

प्रक्रिया एवं षक्तियां		(11) कृशि नीति में वृहद सुधार सुझाना, जिससे कृशि अनुसंधान में निवेष को बढ़ावा मिले, ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना, जिससे लघु एवं सीमान्त किसानों को लाभ मिल सके, आर्थिक उन्नति ऐसी हो जो कृशि की उन्नति से सम्बद्ध हो, जिससे ग्रामीण परिवारों को उन्नत उत्पादन एवं स्वस्थ जीवन मिले, (12) कृशि के क्षेत्र में पढ़े–लिखे युवाओं को जोड़ना तथा उनको रोके रखना, इस उद्देष्य की पूर्ति हेतु तकनीकी के तरीके मिले, (13) अन्य संबंधित बिन्दु जो सरकार द्वारा आयोग को सुझाया गया हो। (14) निजीजन सहभागिता को कृशि में बढ़ावा देना। (1) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। आयोग यदि आवष्यक समझे तो कुछ सुझाव मांग सकता है। सरकार के विभिन्न विभाग, स्वैच्छिक संस्थान, अनुसंधान एवं प्रषिक्षण संस्थान आदि संस्थायें आयोग के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु आवष्यक अभिलेख, सुचनायें तथा समय–समय पर आयोग द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। (2) आयोग विषेश मुद्दों पर उप समितियां तथा अध्ययन दल का गठन कर सकता है। आयोग अपने द्वारा आच्छादित किसी भी पहलू के अध्ययन हेतु सलाहकार रख सकता है तथा न्यूनतम आवष्यक कर्मचारी भी प्रतिनियुक्ति पर या संविदा/आउट्सोर्सिंग के आधार पर नियुक्त कर सकता है। (3) आयोग उन बिन्दुओं/मुद्दों पर अपनी सलाह/सुझाव जो विषेश रूप से राज्य सरकार द्वारा आयोग के सामने रखे जायेगें। (4) आयोग राज्य में कहीं भी अपना कार्यालय खोल सकता है। (5) आयोग का कार्यालय अभिकरण 2 साल का होगा, यदि राज्य सरकार उचित समझे तो कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा अनुदान	10	अध्याय 4 वित्त, लेखे और लेखा परीक्षा (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इन निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पष्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराषि का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्त प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाते है। (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराषि जैसी वह ठीक समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी धनराषि को उपधारा (1) निर्दिश्ट अनुदान से देय व्यय माना जाएगा।
लेखा और लेखा परीक्षा	11.	(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखे का एक वार्शिक विवरण ऐसे प्रारूप में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा। (2) आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा, निदेषक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड़ द्वारा वार्शिक रूप से की जाएगी।
वर्शिक रिपोर्ट	12.	आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्श के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्श के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्शिक रिपोंट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य

		सरकार को अग्रसारित करेगा।
वर्शिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखा जाना	13.	राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पष्चात् यथाषीघ्र उनमें दी गयी सिफारिषों पर की गयी कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिषों को अस्वीकार किये जाने के कारणों यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्शिक रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।
		अध्याय–5 प्रकीर्ण
आयोग का अध्यक्ष, उपध्यक्ष, सदस्य–सचिव, सदस्य, सदस्य अधिकारी और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना	14.	आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव–सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।
राज्य सरकार आयोग से परामर्ष करेगी	15.	राज्य सरकार किसानों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्ष करेगी।
स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण	16.	(1) किसानों के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा। (2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के संबंध में स्वयं को संतुश्ट करने के पष्चात्, ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा। (3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसे न्यायालय प्राधिकारी या व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसे न्यायालय प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। (4) आयोग किसी संगठन का रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पष्चात् लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से रद्द कर सकेगा। (5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिष्चय अंतिम होगा।
संद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण	17.	किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आषायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
नियम बनाने की षक्ति	18.	(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इन अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

		(2) विषेश रूप से और पूर्वगामी षक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विशयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा अर्थात: (क) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य–सचिव, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और षर्तें: (ख)प्रपत्र जिसमें धारा 12 के अधीन वार्शिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी: (ग) अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाली फीस: (घ) कोई अन्य विशय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए। (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पष्चात् यथाषीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। यदि विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो तो तत्पष्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, किन्तु ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 19(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेष द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकती है: परन्तु ऐसा कोई आदेष इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्श की समाप्ति के पष्चात् नहीं किया जाएगा। (2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेष उसके लिए जाने के पष्चात् राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।